न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 51/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/122)

उनवानी प्रकरण :–

पप्पू पुत्र बाबू, उम्र 46 वर्ष जाति मुसलमान निवासी पुरानी सराय, पुराना शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (राज0) ---------अपीलान्ट

बनाम्

1–राजास्थान राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर
2–दिनेश चन्द शर्मा पुत्र कालीचरन शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर ----------रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. रा. अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्या 504 बॉके ग्राम मालीपुरा द्वारा तहसीलदार धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★धौलपुर (राज0)★

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री श्रीगोपाल शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं0 1की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभि0।
रेस्पोडेण्ट सं0 2 की ओर से :–श्री इक्राम खांन एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 27.07.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजीयात खसरा नम्बर 45,46,53,54,55,56,57 बांके ग्राम मालीपुरा तहसील धौलपुर, अपीलान्ट एवं उसके सह खातेदारों के अविभाजित कृषि भूमि है जिसके लिये अपीलान्ट एंव उसके भाई मुस्ताक ने एक वाद वास्ते विभाजन उक्त आराजीयात के बावत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर में प्रस्तुत किया हुआ है जिसका उनवान मुस्ताक बनाम शहजाद नम्बरी 03/2019 लम्बित है। उपरोक्त वाद के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें दिनांक 07.1.2019 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

आदेश पारित किया हुआ है। उक्त आदेश की शहजाद को भली भॉति जानकारी होने के बावजूद भी विवादित आराजी का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के पक्ष में किया है जो दौराने लम्बन वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश की खुली अवहेलना करने के उद्देश्य से दिनांक 25.01.2019 निष्पादित कर पंजीबद्व कराया गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या–1 ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 07.01.2019 की भली भॉति जानकारी होते हुए भी आक्षेपित नामान्तकरण संख्या 504 को तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड की स्थिति को परिवर्तित कर दिया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि आक्षेपित आदेश विधि विरूद्व, प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या–1 को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 07.01.2019 बावत रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु की भली भॉति जानकारी होते हुये भी आक्षेपित नामान्तकरण संख्या–504 को तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करा कर विधि की भूल की है। विक्रेता शहजाद को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर में लम्बित प्रकरण की भली भॉति जानकारी होते हुये भी विवादित भूमि का विक्रय दिनांक 25.01.2019 को रेस्पो0संख्या–2 दिनेश चन्द शर्मा के हक में उपखण्डाधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 07.01.2019 की खुली अवहेलना व अवमानना करने के उद्वेश्य से निष्पादित कर पंजीयन कराया है इसलिये उक्त विक्रय पत्र वमुकाबले अपीलान्ट शून्य व अप्रभावी दस्तावेज है। आक्षेपित नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को करीब 10 दिवस पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपीलान्ट से विवादित आराजी पर खुले आम यह इजहार करने पर कि उसने विवादित आराजी में से शहजाद का हिस्सा क्रय करके अपने नाम राजस्व अभिलेख नामान्तकरण करा लिया है, पर हुई है इससे पूर्व अपीलान्ट को आक्षेपित नामान्तकरण की जानकारी सर्वथा नहीं रही है। इसलिये जानकारी दिवस से अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 504 को अपास्त किया जाकर रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 504 बॉके ग्राम मालीपुरा, नकल आदेशिका तारीखी 7.1.2019 से 09.07.2019 उनवानी मुस्ताक बनाम शहजाद, न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र तारीखी 3.1.2019 उनवानी मुस्ताक बनाम शहजाद, न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर पेश किये है।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायन शर्मा उपस्थित हुये तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री इकराम खांन एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया, पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 07.01.2019 बावत रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश था। दौराने स्थगन नामान्तकरण तस्दीक नहीं हो सकता था। दौराने स्थगन आदेश की शहजाद को भली भॉति जानकारी होने के बावजूद भी विवादित आराजी का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के पक्ष में किया है जो दौराने लम्बन वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश की खुली अवहेलना करने के उद्वेश्य से दिनांक 25.01.2019 निष्पादित कर पंजीबद्व कराया गया है। न्यायालय के आदेश की पालना होनी चाहिऐ। आक्षेपित नामान्तकरण निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के द्वारा कोई वहस नहीं की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में कथन किया कि शहजाद खां ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 5/9 का ही बेचान किया है तथा उसी के अनुसार मैने क्रय किया है। मुझे वरवक्त वयनामा स्थगन आदेश बावत जानकारी नहीं थी। आक्षेपित नामान्तकरण के करीब 07 माह बाद यह अपील प्रस्तुत की है जो म्याद बाहर है और पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट ने जिस नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की है उस नामान्तकरण आदेश में अपीलार्थी का नाम नहीं है और जब उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम नहीं है तो अपीलार्थी उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत करने का हकदार व अधिकारी नहीं है। अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 07.01.2019 बावत रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश था। दौराने स्थगन आदेश शहजाद खॉ को भली भॉति जानकारी होने के बावजूद भी विवादित आराजी का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के पक्ष में किया है जो दौराने लम्बन वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश की खुली अवहेलना करने के उद्वेश्य से दिनांक 25.01.2019 निष्पादित कर पंजीबद्व कराया गया है जिसके कारण आक्षेपित नामान्तकरण निरस्त फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि शहजाद खॉ ने विवादित

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 5/9 अपने हिस्से का ही रेस्पोडेन्ट संख्या-2 दिनेश शर्मा को बेचान किया है। अधीनस्थ न्यायालय में वटवारे का जो दावा विचाराधीन है उसमें वादी अपीलार्थी जो वटवारा हिस्से का शहजाद खॉं से कराना था वही वटवारा रेस्पोडेन्ट संख्या-2 दिनेश शर्मा को प्रकरण में नियमानुसार पक्षकार बनाकर वटवारा कर सकता है जिसके लिये वह स्वत्रंत है। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण में हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। अपीलान्ट, विचारीधन वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा विवादित आराजी पर स्थगन आदेश प्रभावी होना कहते है, अपीलान्ट स्थगन आदेश के उल्लधंन के लिए वैधानिक उपचार प्राप्त कर सकते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज0) ★